अपनी बात

– अनिल कुमार नाहर, 9109999906
270, जवाहर मार्ग, इन्दौर-452002

भारत के वर्तमान पीएम के लिए चाक-चोबंद (कड़ी सुरक्षा) के लिए सभी तरह का सरकारी खर्च करोड़ों रूपये

आज देश के वर्तमान पीएम पर तमाम प्रकार कठोर सुरक्षा हजारों रक्षा सुरक्षा, कर्मियो, शासन-प्रशासन पर करोड़ों रूपये खर्च किया जाता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े देश मे समयानुसार कठोर सुरक्षा और चौकसी रखी जाती रही।

कांग्रेस शासन मे प्रधानमंत्री रहे, नेहरूजी, इंदिराजी, राजीवजी आदि खुले वाहन पर खड़े होकर जनता का अभिवादन करते थे और उत्सुक जनता भी सड़क के दोनो छोरों पर हजारों की तादाताओं में अगवानी (इन्तजार) करती थी। उस समय का वातावरण सभी तरह से अधिक सुरक्षित रहता था। जनता दर्शन स्वागत के लिए हारफूल से इजहार करती थी। उस समय के पीएम भी अत्यंत खुश होते थे।

उनकी महती सभाओं मे उस समय हजारों-लाखों की तादातों में जनता जूटती थी वह भी स्वेच्छा से । गैर कांग्रेस शासित के पी एम बंद कारो में होकर काफिलाओं के साथ गुजरते है। सड़कों पर जनता उन्हें देखने (निहारने) के लिए हताश निराश हो जाती है। क्योंकि सही तरीके से कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आज मोदीजी को देश संभालते हुए 11 वर्षो से अधिक हो चुके है। उन्होंने आज तक खुले वाहन से जनता को दर्शन नहीं दिये। ये भोपाल-इन्दौर में ही नही बल्कि पूरे देश के प्रमुख-प्रमुख क्षेत्रो मे भी ऐसा ही होता रहा।

शांति से विदा हो गया एक और साहित्यकार

इंदौर शहर में लगातार ऐसे लोगों की विदाई हो रही है जिनकी यादें हमेशा बनी रहेगी हिंदी और मराठी के जाने-माने वरिष्ठ साहित्यकार श्री विश्वनाथ शिरढोणकर भी सदैव के लिए विदा हो गए।

अभी इसी महीने की एक और दो तारीख को अखिल भारतीय दो दिवसीय साहित्यिक आयोजन उनके लिए किया गया था जिसमें उनकी तीन पुस्तकों का लोकार्पण मराठी हिंदी भाषाओं का कवि सम्मेलन अन्य विषयों पर विचार विमर्श और उनका सम्मान किया गया था।

लिवा साहित्यिकसंस्था के संस्थापक हिंदी परिवार इंदौर मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति तथा मराठी साहित्य अन्य संस्थाओं के सक्रिय सदस्य श्री विश्वनाथ को आज साहित्यकारों हरे राम बाजपेई प्रदीप नवीन संतोष मोहंती अश्विन खरे श्री धर्माधिकारी श्री बोबडे शिवाजी मोहिते आदि के साथ बैंक कर्मियों और तमाम सुधी जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

लायंस आई बैंक वाराणसी द्वारा अशोक टेमले सम्मानित

इन्दौर। प्रयागराज महाकुंभ में संस्था सक्षम द्वारा आयोजित नेत्र कुंभ में नेत्र परीक्षण हेतु आए साधु-संत, श्रद्धालु एवं मरीजों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया गया। जानकारी प्रदान करने एवं नेत्रदान संकल्प पत्र भरवाने के कार्य में विशेष सहयोग प्रदान करने के लिए सक्षम मालवा प्रांत के दृष्टि प्रकोष्ठ प्रमुख एवं राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा संस्था इन्दौर के सचिव अशोक टेमले को लायंस आई बैंक वाराणसी के निर्देशक डा. अखिलेश चन्द्रा एवं आई बैंक मैनेजर नेत्रोदय आई बैंक सिटी, स्वर्णिम अवस्थी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। नेत्र कुंभ में 2042 व्यक्तियों द्वारा नेत्रदान के संकल्प पत्र भरे गए।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार ने श्री असीम पिता स्वः श्री सत्यनारायण जी ओझा, निवासी 36, कुंजवन कालोनी, इन्दौर (म.प्र.) से उनके स्वामित्व व आधिपत्य का भूखण्ड क्रमांक 101, सिद्धीपुरम कालोनी, ग्राम तेजपुर गड़बड़ी, तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) पर निर्मित बहुमंजिला भवन 'शारदा भवन' पैकि द्वितीय मंजिल पर स्थित प्रकोष्ठ (फ्लेट) क्रमांक 203 जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 600 वर्गफीट है, को क्रय करने का सौदा कर बयाना राशि अदा कर दी है। यदि उक्त सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक, आदि का किसी प्रकार का कोई भार, बोझ, रहन, हक्क त्याग, क्रय-विक्रय, दान, गिरवी, बक्षीश, आदि या किसी प्रकार का कोई कानूनी या न्यायालयीन विवाद या संव्यवहार हो तो जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर मय असल दस्तावेज अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा बाद अवधि पश्चात हमारे पक्षकार द्वारा उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा लेंगे तत्पश्चात कोई आपत्ति या उजर हमारे पक्षकार पर बन्धनकारी नही होगी । सो विदित हो ।

इन्दौर, दिनांक 27.03.2025

कृष्णा प्रजापति (अधिवक्ता)
64, वृन्दावन कॉलोनी, बाणगंगा, इन्दौर, मो.नं. 9977123008, 9340636400

न्यायालय- बाईसवें जिला न्यायाधीश, जिला इंदौर (म.प्र.)

MJCGW/11/2025

शिवशंकर प्रजापत **विरूद्ध** सर्वसाधारण

दिनांक 15.04.2025

प्रेषिती, सर्वसाधारण, पता- सर्वसाधारण

आपको सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के विविध व्यवहार प्रकरण क्रमांक MJCGW/11/2025 शिवशंकर प्रजापत विरूद्ध सर्वसाधारण में प्रार्थी शिवशंकर प्रजापत पिता स्वः श्री रामनरेश प्रजापत, निवासी-129/1, बाणगंगा इंदौर ने सर्वसाधारण के विरूद्ध आवेदन पत्र धारा 29 सहपठित धारा 31 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत प्रार्थी क्रमांक-2 श्रीमती बबीता पति स्वः श्री रामनरेश प्रजापत के अवयस्क पुत्र शिवशंकर प्रजापत व पुत्री कुमारी दीक्षा, कुमारी प्राची व कुमारी सलोनी प्रजापत का स्वयं को संरक्षक नियुक्त करने एवं अचल सम्पत्ति को विक्रय करने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः आम सर्वसाधारण में से किसी को भी यदि उक्त कार्यवाही में कोई जवाब प्रस्तुत करना हो या कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष आगामी पेशी दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे। अनुपस्थिति की स्थिति में आपके विरूद्ध आवेदन पत्र के संबंध में एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी, यदि नियत पेशी दिनांक को न्यायालय का किसी कारणवश अवकाश घोषित होता है तो आप ठीक अगले दिन उपस्थित हो सकते है।

(विनोद कुमार शर्मा), बाईसवें जिला न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

2 लाख 38 हजार व्यक्तियों की आंखों की जांच 1 लाख 63 हजार व्यक्तियों को चश्मा वितरण

प्रयागराज महाकुंभ में आंखों की चिकित्सा सेवा का अद्वितीय कीर्तिमान

इन्दौर। हमारे देश में लगभग एक करोड़ 25 लाख व्यक्ति पूरी तरह से दृष्टि बाधित है या लो विजन के शिकार है इनमें 15 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो कार्निया की खराबी के कारण देख नहीं पाते हैं। देश में जागरूकता के कमी होने के कारण नेत्रदान जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है।

इस समस्या के निराकरण के लिए आंखों के चिकित्सालय मिलकर काम करें इस उद्देश्य से नेत्रकुंभ आयोजित किया गया।

संस्था सक्षम द्वारा महाकुंभ में पधारे साधु-संतो एवं श्रद्धालुओं के नेत्र परिक्षण एवं निशुल्क चश्मा वितरण हेतु नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया । सक्षम मालवा प्रांत दृष्टि प्रकोष्ठ प्रमुख श्री अशोक टेमले ने जानकारी देते हुए बताया कि नेत्र कुंभ में 2,37,964 व्यक्तियों की आंखों

की जांच की गई एवं 1,63,652 व्यक्तियों को निशुल्क चश्मा वितरित किये गये । नेत्र कुंभ में नेत्रदान एवं नेत्र सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। 2042 व्यक्तियों द्वारा नेत्रदान के संकल्प पत्र भरकर दृष्टिबाधितों के लिए अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। नेत्र कुंभ में 343 नेत्र चिकित्सकों द्वारा नेत्र परीक्षण किया गया तथा 489 ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा चश्मे की जांच

की गई। शिविर में 17069 मोतियाबिंद के मरीज चिन्हित किए गए जिन्हें उनके निकटतम नेत्र चिकित्सालयों में निशुल्क ऑपरेशन के लिए रेफर किया गया। नेत्र कुंभ में आए दृष्टिबाधित दिव्यांगों को स्मार्ट केन सारथी स्मार्ट फोन के साथ वितरित की गई। जानकारी मालवा प्रांत के अशोक टेमले ने दी।

अनुभवी रिटायर्ड बैंकर्स के सहयोग से एमएसएमई को प्रदान करेगा फाइनेंशियल एडवाइज़री सर्विसेस

बैंकर्स क्लब ने इंदौर में रखा कदम

इन्दौर। रिटायर्ड बैंकर्स के साथ मिलकर फाइनेंशियल एडवाइज़री को नए आयाम देने वाला फिनटेक एग्रीगेटर स्टार्टअप बैंकर्सक्लब, अब इंदौर में भी अपनी सेवाएँ शुरू कर रहा है।

मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, बैंकर्सक्लब ने पीएनबी बैंक के पूर्व डीजीएम मनमोहन छाबड़ा को नियुक्त किया है, जिनके पास 36 साल का बैंकिंग अनुभव है। अब इंदौर के लोगों को भी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी बेहतरीन सलाह और सेवाएँ मिल सकेंगी। स्टार्टअप बैंकर्सक्लब एक ऐसा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो एमएसएमई, स्टार्टअप्स और बड़े व्यवसायों को अनुभवी बैंकर्स से जोड़कर फाइनेंशियल सलाह और समाधान देता है। अब इस स्टार्टअप ने इंदौर के साउथ तुकोगंज में अपना

ऑफिस खोला है, जिससे शहर में इसकी सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, भौगोलिक दृष्टि से इंदौर, भोपाल और मुंबई के करीब होने के कारण इसका विस्तार और तेजी से होने की उम्मीद है। बैंकर्सक्लब की सर्विसेस में क्लब डेट और इक्विटी फंडिंग, नियामक अनुपालन और अन्य वित्तीय समाधान शामिल हैं।

विस्तार के बारे में बात करते हुए, बैंकर्सक्लब की को-फाउंडर बर्नाली दास ने कहा, हम इंदौर में अपने प्रवेश को लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि यह मध्य प्रदेश डेट रिस्ट्रक्चरिंग, अंतरराष्ट्रीय विस्तार, एनपीए समाधान, मर्जर और एक्विजिशन, एमएसएमई सलाह, का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र है, और यहां बहुत संभावनाएं हैं।

अपनी नई भूमिका को लेकर उत्साहित, बैंकर्सक्लब इंदौर के सीओओ मनमोहन छाबड़ा ने कहा, मैं बैंकर्सक्लब से जुड़कर और मध्य प्रदेश में बढ़ते व्यवसायों को अनुभवी बैंकिंग प्रोफेशनल्स से जोड़ने को लेकर बेहद उत्साहित हूं।

बैंकर्सक्लब अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए रिटायर्ड (सेवानिवृत्त) और पूर्व बैंकर्स, लोकल बैंक्स, ऋणदाताओं और डिजिटल मार्केटिंग पहल का उपयोग करने की योजना बना रहा है। इंदौर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही, स्टार्टअप को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उसकी कुल वार्षिक आय का 25त्न से 30त्न हिस्सा इंदौर बाजार से आएगा।

श्रीराम मंदिर में कथित महिला पुजारी की दादागिरी

किसी भी भक्तगण को पूजा नहीं करने देती है

इन्दौर। खातीवाला टैंक स्थित जैन मन्दिर के पीछे श्रीराम मंदिर में महिला पुजारी जिसका मात्र पूजा है जो कथित रूप से पुजारी बनकर स्थानीय लोगों व श्रीराम /शिव भक्तों अगर वहां पूजा करने कोई महिला / पुरुष जाते है तो दादागिरी को पूजा नहीं करने देती है अगर वहां पूजा करने कोई महिला-पुरुष जाते है तो दादागिरी करती है और गाली गलौच करते हुए भगा देती है और कहती है कि तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी।

पीड़ित व्यक्ति राजा भैय्या ने बताया कि कथित महिला पुजारी पूजा के पिताजी विजयशंकर तिवारी जो इस मंदिर में पूजा पाठ करते थे उनकी मृत्यु 20 वर्ष पूर्व हो गई थी उसके पश्चात उक्त महिला जो कि दिल्ली में रहती है यहां आकर मंदिर पर अवैध कब्जा कर लिया है। मंदिर के नीचे व उपर अवैध कमरे बना लिये है । अब स्थानीय लोग इस कथित महिला पुजारी की शिकायत जनसुनवाई की। 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नाम इंदौर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे । जिसमें मांग की जायेगी मंदिर से अवैध कब्जा हटाया जायें और इस मंदिर की निष्पक्ष जांच कर स्थानीय लोगों को मंदिर सौंप कर विधि विधान से पूजा पाठ की जा सके।

इस कथित महिला पुजारी की शिकायत थाना जूनी इंदौर, डीसीपी साहब, इंदौर कमिश्नर से की जा चुकी है । जानकारी श्रीराम मंदिर बचाव समिति के संयोजक राजा भैया, जगदीशचन्द्र सैनी, महेश, देवेन्द्र, पुष्पा, मंजू ढोलिका ने दी।

मान्यता नवीनीकरण नहीं तो पोर्टल पर करे उल्लेख

लॉ कॉलेजों की मान्यता संबंधी मामले में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

इन्दौर/जबलपुर, (ई)। मप्र हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है जिसमें भविष्य में बिना मान्यता छात्रों को प्रवेश देने पर संबंधित विधि कॉलेज और विश्वविद्यालय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

खंडपीठ ने यह भी आदेश दिए है कि अब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले ही मान्यता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शैक्षणिक संस्थान को अगले सत्र के पहले हर हाल में 31 दिसंबर तक रिन्युअल फीस जमा करानी होगी। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) फरवरी माह में मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। यदि किसी संस्थान की मान्यता रिन्यू नहीं होगी तो उसे पोर्टल पर स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करना होगा, ताकि छात्र असमंजस में नहीं रहें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई संस्थान तय समय पर फीस नहीं देता है तो बीसीआई कड़ी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी।

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। मामले में सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा विभाग के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी अनुपम राजन और पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्रा ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की।

गौरतलब है कि जबलपुर के विधि छात्र पंकज भट्ट, व्योम गर्ग, शिखा पटेल व अन्य की ओर से याचिका दायर कर बताया गया था कि उन्होंने सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट जबलपुर में एलएलबी में प्रवेश लिया था। कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश में पंजीयन के लिए आवेदन दिया। स्टेट बार ने यह कहते हुए उनका रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया कि सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट की मान्यता समाप्त हो गई है। संस्थान ने बीसीआई में रिन्युअल फीस जमा नहीं की है।

इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 22 इंदौर जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री भरत पिता केदारमल गोयल मो.नं. 8878623000 द्वारा झोन क्रं. 22, राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ रजिस्ट्री, वसीयतनामा, वारिस नाते प्रस्तुत कर सर्विस/पिन 1001009659 पता 90 पिनेकल दी ग्रांड इंदौर पर नामांतरण चाहा गया है।

इस जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक 28.03.2025 से सात दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति बैंक संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 22 राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्र. 22, नगर पालिक निगम, इंदौर
इन्दौर समाचार

अहिरवार जाटव समाज का निःशुल्क विवाह 30 अप्रैल को

इन्दौर। अहिरवार जाटव समाज महानगर केन्द्रिय समिति : बाईसी पंच जिला इन्दौर अहिरवार जाटव समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों के लिये निशुल्क सामुहिक विवाह का आयोजन समाज के हित में करती आ रही हैं।

समिति का इस वर्ष तृतीय निशुल्क सामुहिक विवाह सम्मेलन ग्राम मोरोद के नगराज धाम मन्दिर परिसर में दिनांक 30 अप्रेल /2025 (आखाजीज) के पर्व पर आयोजित किया जायेगा।

सामुहिक विवाह सम्मेलन आज समाज की आवश्यकता होगई है समाज हित में समिति द्वारा विवाह के मंहगें के खर्चों की बचत एवंम समय की बचत करते हुए यह आयोजन किया जा रहा है। समिति द्वारा विगत 8 वर्षो से समाज हित म काम किया जा रहा है।

समिति द्वारा सामुहिक विवाह सम्मेलन 2025 के आयोजन हेतु कार्यालय शीतला माता मन्दिर के पिछे कोठारी मार्केट इन्दौर में स्थापित किया गया है जिस में विवाह के पंजीयन आदि का कार्य किया जा रहा है।

समिति द्वारा पूर्व में खालसा स्टेडियम प्रागंण, मां स्कुल के पास छत्री बाग व विगत वर्ष 2024 में नगराज मन्दिर परिसर ग्राम मोरोद खंडवा रोड इन्दौर पर सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस आयोजन हेतु अर्थ व्यवस्था हेतु समिति की कार्यकारिणी एवंम समाजजन के सहयोग से शप्ती प्राप्त की जाती है। जिसे से इस आयोजन का व्यय किया जाता है।

इस सामुहिक विवाह में वर वधु को आकर्षक उपहार जैसे मंगलसूत्र, पायजब, चुंकी दहेज के बर्तन वर वधु के वस्त्र जुते चप्पल मोजे आदि निशुल्क दिये जाते हैं।

सावधान सावधान सावधान जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार की फर्म मेसर्स कल्याण ट्रेडर्स सेक्टर-ई. 325-326 सांवेर रोड मेहाबा टाईल्स इन्दौर को लालचंद माटा पिता मुलचंद माटा का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। उसके द्वारा मेरे व्यापारिक लोगो से असत्य रूप से मेरे पक्षकार की फर्म मेसर्स कल्याण ट्रेडर्स का भागीदार बताता है इस जाहिर सूचना से सभी लोगो को अवगत किया जाता है कि यदि मेरी फार्म का संबंध बताकर उसके द्वारा कोई संव्यवहार किया जाता है तो उसका जवाबदार मेरा पक्षकार नही रहेगा। इस संबंध मे मेरे पक्षकार द्वारा वैधानिक सूचनापत्र लालचंद माटा पिता मुलचंद माटा को दिनांक 05/03/2025 को प्रेषित कर दिया है जिसका कोई जवाब आज दिनांक तक हमारे आफिस को भागीदारी का दस्तावेज प्रेषित नही किया है इससे स्पष्ट होता है कि लालचंद माटा का हमारे पक्षकार के साथ कोई भागीदारी संबंध नहीं है अगर भागीदारी के संबंध में कोई भी दस्तावेज लालचंद माटा के पास उपलब्ध हो तो सात दिवस की अवधि मे हमारे आफिस में प्रेषित करे अथवा स्वंय आकर मिले सौ विदित होवे।

(संजीव कुमार गुप्ता, एडवोकेट)
प्लाट नंबर 21 फ्लेट नंबर 202 साई रेसीडेन्सी, आशीष नगर
इन्दौर, मोबाइल नम्बर : 9893157892

इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 2 इंदौर जाहिर सूचना

सर्व जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री दिलीप पिता नंदकिशोर एवं अलका पति दिलीप के द्वारा झोन क्रमांक 2, राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र, वसीयतनामा, वारिसनाते, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज प्रस्तुत कर सम्पत्ति खाता क्रमांक (पिन नं.) 1000866674 पता 64/3 ओल्ड राजमोहल्ला इन्दौर पर नाम परिवर्तन चाहा गया है।

इस जाहिर सूचना प्रकाशन के दिनांक 28/03/2025 से 07 दिवस के अवधि में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामांतरण/नाम परिवर्तन पर आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 02 के राजस्व विभाग में प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्र. 02, नगर पालिक निगम, इंदौर
इन्दौर समाचार

इंदौर नगर पालिक निगम, झोन क्र. 2 इंदौर जाहिर सूचना

सर्व जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रकाश, मोहनलाल, संजय पिता स्वः लक्ष्मीचंद प्रजापत व अन्य के द्वारा झोन क्रमांक 2, राजस्व विभाग पर आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र, वसीयतनामा, वारिसनाते, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज प्रस्तुत कर सम्पत्ति खाता क्रमांक (पिन नं.) 1000866673 पता 64/2 ओल्ड राजमोहल्ला इन्दौर पर नाम परिवर्तन चाहा गया है।

इस जाहिर सूचना प्रकाशन के दिनांक 28/03/2025 से 07 दिवस के अवधि में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामांतरण/नाम परिवर्तन पर आपत्ति हो तो झोन क्रमांक 02 के राजस्व विभाग में प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्र. 02, नगर पालिक निगम, इंदौर
इन्दौर समाचार

श्रद्धा-सबुरी के देव सांई की आज बाणगंगा में पालकी यात्रा होगी

इन्दौर।28 मार्च शुक्रवार को सुबह बाणगंगा क्षेत्र में विश्व शांति प्रचारार्थ सांई पालकी यात्रा भ्रमण करेगी। पालकी का पूजन सांई अर्चना रिटायर्ड डीएसपी राधेश्याम आर्य, सांई भक्त कमल साबू, सांई सेवा समिति के अध्यक्ष छोटू शुक्ला, भजन गायक पं. महेश शर्मा, एडवोकेट गोपाल शर्मा सहित अनेको सांई भक्त करेंगे। सांई बावनी, धार्मिक पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण पत्रकार बाबूभाई पंवार, श्रीमती गीता सोनी, दीक्षा सोनी, चन्दू भाई के नेतृत्व में होगा।

संपदा प्रबंधन म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल प्रक्षेत्र इंदौर
//आम सूचना//

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि **ईडब्ल्यूएस प्रथम मंजिल स्टेडियम ग्राउण्ड नंदानगर इन्दौर स्थित भवन क्रमांक डी-8 श्री अशोक जायसवाल पिता श्री माणकचंद जायसवाल** को म.प्र. गृह निर्माण मंडल द्वारा आबंटित किया गया था। आबंटी द्वारा उक्त भवन दिनांक 03.03.2025 को बजये रजिस्ट्री से **श्रीमती वैशाली मकवाना पति श्री अशोक मकवाना** को विक्रय किया गया है। तथा इनके द्वारा मंडल में नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। जो कि विचाराधीन है।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
सी. 232/1 म.प्र.गृ.नि. एवं अधोसंरचना विकास मंडल इंदौर

संपदा प्रबंधन म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल प्रक्षेत्र इंदौर
//आम सूचना//

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि **एम.आय.जी. डुपलेक्स सुखलिया पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर इन्दौर में श्री सुनिल काले पिता श्री लक्ष्मणराव काले** को भवन क्रमांक सीजेआरएम-80 एम.आय.जी. डुपलेक्स आवंटित किया गया था। आवंटी **श्री सुनिल काले पिता श्री लक्ष्मणराव काले** द्वारा उक्त भवन बजयें रजिस्ट्री के माध्यम से दिनांक 07.01.2025 को **श्रीमती प्रीतिबाला प्रसन्नो पति श्री कमलेश प्रसन्नो एवं कु. अभिधा प्रसन्नो पिता श्री कमलेश प्रसन्नो** को विक्रय किया गया एवं उनके द्वारा मंडल में अपने संयुक्त नाम से नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। जो कि विचाराधीन है।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
सी. 232/2 म.प्र.गृ.नि. एवं अधोसंरचना विकास मंडल इंदौर

न्यायालय- आलोक कुमार मिश्रा, 20वें जिला न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

एमएसीसी प्रकरण क्रमांक 889/2024
दिनांक 25.03.2025, पेशी दिनांक 09.04.2025

मानवी **विरूद्ध बजाज इंश्योरेंस**

पेशी दिनांक 17/04/2025

प्रेषिती- (1) लारिल स्कूल एण्ड मना इन्वेस्टमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड, पता- 07, प्रेस कॉम्पलेक्स ए.बी. रोड़ जी.पी.ओ. जिला इन्दौर म.प्र.

यह कि आवेदक ने आपके विरूद्ध उपरोक्त वाद प्रकरण संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय मे सूचना के प्रकाशन के **30 दिवस** के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेय दिए गए हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे। जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं। ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको यह सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत कराये। यह आज तारीख 25.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

(आलोक कुमार मिश्रा), सदस्य, बीसवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इन्दौर (म.प्र.)

नोट: यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।